न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी	:	पृथ्वी पाल सिंह, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थना पत्र सं.	:	251/2026 (CIS NO. 251/2026)
CNR NO.	:	RJHG050003852026
सेशन प्रकरण सं.	:	06/2026 राज्य/विकास आदि

वकील पुत्र श्री काशीराम निवासी खेत में ढाणी खारा रोड कुदशू पुलिस थाना पांचु जिला बीकानेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 468/2025 पीएस– हनुमानगढ़ टाउन
अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री नदीम हैदर अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 27.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त वकील की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली व केस डायरी पेश हुई । बहस जमानत प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित मामले में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	मामले का विशेष विवरण	
1.	एफ आई आर सं.	468/2025
2	संबंधित पुलिस थाना	हनुमानगढ़ टाउन
3.	जिला	हनुमानगढ़
4.	एफआईआर में दर्ज अपराध धारा	8/15 एनडीपीएस एक्ट
5.	गिरफतारी की दिनांक	14.05.2026
	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	18.05.2026

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2025 को सुभाष चन्द्र पु.नि. पीएस–हनुमानगढ़ टाउन ने मय मुलाजमान के जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे भारतमाला रोड़ पर चैहिलावाली से भारतमाता रोड़ को जोड़ने वाली रोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान 3.00 एएम पर एक कार सं0 एचआर–70 जी–2426 में सवार चालक अभियुक्त विकास एवं ड्राईवर सीट के बराबर वाली सीट पर सौरभ बैठा था, कार को रोका गया व तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट निकाली हुई थी सीट की जगह व कार की डिग्गी में चार काले रंग के कट्टे व एक सफेद रंग के कटटा रखा था जिनमें डोडानुमा व छिलकेनुमा पदार्थ पोस्त भरा मिला। जिनका वजन करने पर चार काले रंग के कट्टों में 20–20 किलोग्राम तथा सफेद रंग के कट्टे में 05 किलोग्राम इस प्रकार कुल 85 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। बरामदा पोस्त अपने कब्जा में रखने बाबत् लाईसेंस/परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। तत्पश्चात् उन्हें गिरफ्तार किया गया आदि। बाद मौका की समस्त कार्यवाही थाना पर वापिस आकर एफआईआर नं. 468/2025 अर्न्तगत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान रामचन्द्र पु.नि. थानाधिकारी पीएस–रावतसर द्वारा प्रारम्भ किया गया। मामले में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण विकास, सौरभ, रामचन्द्र, कैलाश के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। **पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित है:–**

क्र.सं.	**मुकदमा नंबर**	**धारा एवं पुलिस थाना**	**नतीजा अदालत**
–	–	–	–

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया गया है। प्रकरण में सह–अभियुक्त कैलाश, रामचन्द्र माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है तथा सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में है। जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसे ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रकरण के विचारण मे काफी समय लगने की संभावना है। प्रकरण में समस्त गवाहान अभियोजन पक्ष के खास व्यक्ति हैं, जिन्हें बाद जमानत डराये धमकाये जाने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली, केस का अवलोकन किया गया।हस्तगत प्रकरण में दिनांक 14.07.2025 को जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे भारतमाला रोड़ पर चैहिलावाली से भारतमाता रोड़ को जोड़ने वाली रोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान सह–अभियुक्त विकास व प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ के कब्जेशुदा कार सं0 एचआर–70 जी–2426 में पांच कट्टों में कुल 85 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त विकास की पूछताछ रिपोर्ट में सह–अभियुक्त रामचन्द्र द्वारा उसे बरामदशुदा डोडा पोस्त दिये जाना बताये जाने के आधार पर अभियुक्त रामचन्द्र को गिरफ्तार किया गया जिसने अपनी पूछताछ रिपोर्ट में अभियुक्त कैलाश से बरामदशुदा डोडा पोस्त मंगवाकर विकास व सौरभ को दिये जाना बताये जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कैलाश की पूछताछ रिपोर्ट में बजरंग के मार्फत प्रार्थी/अभियुक्त वकील सिंह से डोडा पोस्त खरीद करना तथा अभियुक्त रामचन्द्र द्वारा अभियुक्त कैलाश से खरीद कर ले जाना तथा आगे फुटकर के रूप में बेचना बताया है। तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त वकील सिंह मादक पदार्थ का सप्लायर है, जो समाज के लिए और भी ज्यादा घातक है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया गया है। हमारे समाज में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, न केवल नवयुवकों अपितु प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को नशे ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। नशे का व्यापार इस कदर समाज में बढ़ चुका है कि यह समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। नशे से संबंधित अपराध का प्रत्यक्षतः प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है अपितु नशा करने वाले अप्रत्यक्षतः चोरी, डकैती जैसे अप्रत्यक्ष अपराधों से भी जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में मादक पदार्थो की तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है। **पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा खारिज की चुकी है।** प्रकरण में बरामदशुदा अवैध एन.डी.पी.एस. घटक पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की है। प्रकरण अभी अनुसंधान में लंबित है। ऐसी स्थिति में मेरे मत में ऐसे गंभीर प्रकरणों के अपराधों के प्रति किसी प्रकार का नरम रूख रखना उचित नहीं होगा। अतः मैं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण

पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं समझता हूँ।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त वकील सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

7. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

नोट :– जांचा एवं प्रमाणित।

CHARANJEET LAL

Digitally signed by CHARANJEET LAL
Date: 2026.05.29 10:02:26 +0530